








FORM NO. III

फॉर्म अडकाम
(नियम 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर वमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
विनित कुमार पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण वनाम अमितकुमार पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण वगे.
सा. गुगड़वार तह. कुचागन सिटी सा. गुगड़वार तह. कुचागन सिटी

किस्म मुकदमा : 188 आर.टी. एक्ट एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट

मुकदमा नम्बर 195/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अडकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
02.08.2022	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानाराम भींचर यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 06.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां </p>	
6/9/22	<p>आधिवक्ता वादी उपर तामील/शुद्ध तामील सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है। पत्रावली दिनांक 15/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
15/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे हे पत्रावली दिनांक 18/11/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
18/1/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे हे पत्रावली दिनांक 14/3/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
14/3/23	<p>पत्रावली पेश हुई। बकील धार अध्यक्ष के द्वारा आज को स्थगन रखा है। पत्रावली दिनांक 20/6/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
13/5/23	<p>पत्रावली अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान 202 उकेम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र 121/5/21 में आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी हाजिर/गैर हाजिर। पक्षकारान् वादी/प्रतिवादीगण हाजिर/गैर हाजिर। पक्षकारान् के माध्य राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक 18/5/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	

तारीख हुकूम

7/8/23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
बधारे है पत्रावली दिनांक 30/10/23
को पेश हो।

52

30/10/23

पत्रावली पेश हुई श्राद्धि वक्ता वादी व वादी
स्वयं को बार-बार श्रावण क्लिफ्ट मार्टे जितने
बावजूद भी अनुपस्थित रहे हैं।

श्राद्धि वादी का वाद पत्र अदम हाजती व
अदम पेशी में खालि किया जाना है।
पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम
हो व श्राद्धि वक्ता हो

उपखण्ड अधिकारी के
अवां (डीडपाना-कुचमन)